भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या 1296

28 जुलाई, 2015 के लिए प्रश्नम

गोदामों को किराए पर लेना

1296. श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर:

श्रीमती सकुंतला लागुरी:

श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितनी निजी भंडारण स्थान को किराए पर लिया गया है और किराए पर लेने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और कितना किराया दिया गया;

(ख) क्या मानदंडों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या उक्त भंडारण स्थलों को किराए पर लेते वक्त किराए में कमी करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष में कितनी भंडारण क्षमता किराए पर लेने और इसके लिए कितना किराया दिए जाने की संभावना है

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क): भारतीय खाद्य निगम द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च की स्थिकति के अनुसार निजी पार्टियों से किराए पर लिये गये कुल भंडारण-स्थाि न का ब्यौतरा निम्नाथनुसार है:-

निम्न् तारीख की स्थिनति के अनुसार	निजी पार्टियों से किराए पर ली गई क्षमता (लाख टन में)
31.03.2012	25.92
31.03.2013	62.74
31.03.2014	80.11
31.03.2015	100.53

विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों को किराए पर लेने के लिए भुगतान किए गए किराये का ब्यौतरा निम्नारनुसार है:-

.....2/-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2011-12 (लेखा परीक्षित)	13769.05
2012-13 (लेखा परीक्षित)	14171.47
2013-14 (लेखा परीक्षित)	15661.15
2014-15 (अनंतिम/लेखा परीक्षित नहीं)	16789.04

गोदामों को केन्द्रीडय भंडारण निगम (सीडब्यू □□□सी), राज्यय भंडारण निगम (एसडब्यू□□□□सी) तथा पत्तकन प्राधिकरण जैसे अन्यड शासकीय निकायों से सीधे किराए पर लिया जाता है। तथापि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नसलिखित तरीके से निजी गोदाम भी किराए पर लिये जाते हैं:-

1. निजी भांडागारण योजना (पीडब्यूद□□□एस):- केन्द्री□य भंडारण निगम/राज्यस भंडारण निगमों से गोदाम किराए पर लेने के पश्चा त क्षमता कम होने की स्थिएति में निजी पार्टियों से भी परिरक्षण/रखरखाव तथा सुरक्षा व्यतवस्थाह वाले गोदाम भी एक वर्ष की अवधि के लिए किराए पर लिए जाते हैं, जिसे उसी दर पर और उन्हीं□ शर्तों के साथ एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल बढ़ाई गई अवधि के दौरान 3 माह की अग्रिम सूचना देकर गोदामों को खाली किया जा सकता है। निजी पार्टियों का चयन गोदामों की उपयुक्त ता सुनिश्चिात करने के पश्चा त खुली निविदा जारी करके किया जाता है।

2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना:- इस स्की म के अंतर्गत निजी उद्यमियों , केन्द्री□य भंडारण निगम, राज्या भंडारण निगमों तथा अन्यय राज्य एजेंसियों के माध्यगम से किराए पर लेने की गारंटी के साथ गोदामों का निर्माण किया जाता है। निजी उद्यमियों का चयन खुली निविदा में न्यूटनतम बोली के आधार पर किया जाता है। निर्माण की लागत निवेशकों द्वारा वहन की जाती है तथा भारतीय खाद्य निगम निजी पार्टियों के मामले में 10 वर्ष तथा केन्द्री□य भंडारण निगम , राज्या भंडारण निगमों तथा अन्यन राज्यं एजेंसियों के मामले में 9 वर्ष के गारंटीकृत किराया प्रभारों का भुगतान करता है।

(ख): निजी पार्टियों से गोदामों को पारदर्शी तरीके से किराए पर लेना सुनिश्चिकत करने के लिए ई-निविदा, आंतरिक लेखा परीक्षा , नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा तथा सतर्कता कार्रवाई आदि जैसे उपयुक्तट जांच-बिन्दुे बनाए गये हैं।

(ग): निजी भांडागारण स्कीलम तथा निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत खुली निविदा आमंत्रित करके औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चा त न्यूगनतम बोलीकर्ता से गोदामों को किराए पर लिया जाता है। अत: किराया और कम करने की संभावना नहीं होती है।

(घ): निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत हाल ही में पूरी की गई क्षमता के आधार पर वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 19 लाख टन क्षमता किराए पर लिए जाने का अनुमान है , जिसके लिए लगभग 8.22 करोड़ रुपए किराया देय होगा। प्रचालनात्मतक आवश्याकताओं के अनुसार अल्पासवाधिक आधार पर और अधिक क्षमता भी किराए पर ली जा सकती है। जहां आवश्याकता न हो, वहां पहले से किराए पर ली गई क्षमताओं को किराए से हटाया भी जा सकता है।

******